

आर टी आई मामला

सं. 14036/185/2014-यू टी पी
भारत सरकार
गृह मंत्रालय

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
दिनांक 4 अप्रैल, 2014

सेवा में,

श्री हरेन्द्र प्रसाद सैनी,
मकान नं. टी-502
गली नं. 1, प्रेम नगर,
नई दिल्ली।

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आपका दिनांक 31.12.2013 का आवेदन।

महोदय,

मुझे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आपके ऊपर उल्लिखित आर टी आई आवेदन (इस अनुभाग में दिनांक 12.03.2014 को प्राप्त) का उल्लेख करने का निदेश हुआ है।

2. इस संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि आपकी शिकायत उपयुक्त कार्रवाई के लिए इस मंत्रालय के दिनांक 10.12.2013 के पत्र सं. 14036/10/2013-यू टी पी के तहत पहले ही दिल्ली पुलिस को अग्रेषित की जा चुकी है और इसलिए, आपके आर टी आई आवेदन को भी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के तहत दिल्ली पुलिस को उनकी ओर से आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अग्रेषित किया जा रहा है।

3. इस उत्तर के संबंध में गृह मंत्रालय में अपील प्राधिकारी का नाम एवं पदनाम श्री इकबाल सिंह चहल, संयुक्त सचिव (यू टी), गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली है।

भवदीया,

चित्रा नारायण

(चित्रा नारायण)

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी एवं
अवर सचिव (डी पी)

०/८

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. पुलिस उपायुक्त, लोक सूचना अधिकारी, पुलिस मुख्यालय, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली-आर टी आई आवेदन की प्रति इस अनुरोध के साथ संलग्न है कि अपेक्षित सूचना आवेदक को सीधे मुहैया करवाई जाए। आवेदक ने अपेक्षित शुल्क इस मंत्रालय में जमा करा दिया है।

Prakash Mishra
580/587
2/4